लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10 मई, 1991 में विचारणीय विषयों की

कार्य-सूची

| क्रम सं0 | विषय | पृष्ठ सं0: |
|---|---|---|
| 1 | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 5 अप्रैल, 1991 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण। | 1 ए |
| 2 | लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 5 अप्रैल, 1991 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या। | 7 |
| 3 | लखनऊ विकास प्राधिकरण में अतिरिक्त पदों की आवश्यकता। | 8 |
| 4 | वर्कचार्ज पर तैनात कर्मचारियों को नियमित वर्कचार्ज के रूप में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। | 11 |
| 5 | दैनिक वेतन भोगी एवं मार्च, 90 में नियमित किये गये चतुर्थ श्रेणी कर्म0 को वर्दी दिये जाने के सम्बन्ध में। | 12 |
| 6 | गोमती नगर योजना भाग-2 के अन्तर्गत अर्जित भूमि का प्रतिकर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में। | 15 |
| 7 | लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय-व्ययक, 1991-92 | 17 |
| 8 | सीतापुर रोड सेक्टर "आई" के समीप 12.14 एकड़ रिक्त भूमि पर सृजित भूखण्ड के अभिन्यास मानचित्र की स्वीकृति। | 18 |
| 9 | विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये तलपट मानचित्रों के अनुमोदन हेतु उपसमिति का गठन। | 19 |
| 10 | शारदा नगर योजना के रुचि खण्ड-I में 110 एच0आई0जी0 भवनों का निर्माण कार्य। | 20 |
| 11 | शारदा नगर योजना के रुचि खण्ड-I में 119 एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण कार्य। | 21 |
| 12 | लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी की सामान्य शर्तें। | 22 |
| 13 | गोमती नगर योजना के अन्तर्गत नेहरू इनक्लेव योजना के सलेजफार्म के किसानों को दिये जाने वाले फसल के प्रतिकर के सम्बन्ध में। | 28 |
| 14 | शारदा नगर योजना में स्टार्म वाटर ड्रेन के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में। | 29 |
| 15 | अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय | |

==========:::==========

विषय संख्या: 1 पृष्ठ संख्या: 1 ए

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 5 अप्रैल, 1991 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

x=x=x=x=x

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 5 अप्रैल, 1991 के कार्यवृत्त को पुष्टि हेतु संलग्न किया जा रहा है ।

क्रमशः———

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 05 अप्रैल, 1991 का
कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1- श्री रमेश चन्द्र,
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

2- श्री दिनेश राय,
मुख्य नगर अधिकारी एवं
उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

3- श्री आर० के० शर्मा,
विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
आवास विभाग ।

4- श्रीमती विभा पुरी,
विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त विभाग ।

5- श्री अशोक प्रियदर्शी,
जिलाधिकारी, लखनऊ ।

6- श्री जे० पी० भार्गव,
मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक,
उत्तर प्रदेश ।

7- श्री एन० एस० माथुर,
मुख्य अभियन्ता (मध्य)
उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखनऊ ।

8- श्री कमल कान्त जैसवाल,
सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो,
उत्तर प्रदेश ।

9- श्री राम शंकर यादव,
सदस्य ।

10- श्री राधा कृष्ण गुप्ता,
सदस्य,

11- श्रीमती मिथलेश कुमारी,
सदस्या,

12- श्री एस०एम० जाफ़र,
महाप्रबन्धक, जल संस्थान,
विशेष आमन्त्री ।

क्रमशः : - - -

अन्य उपस्थिति :

श्री के0 के0 उपाध्याय,
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष महोदय द्वारा नये नामित सदस्यों को प्राधिकरण की बैठक में प्रथम बार सम्मिलित होने पर उनका स्वागत करते हुए माननीय सदस्यों को उनके मनोनयन पर बधाई दी ।

विषय संख्या:01 लखनऊ विकास प्राधिकरण बैठक दिनाँक: 15 दिसम्बर, 1990 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक:15 दिसम्बर 1990 के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नांकित संशोधन सहित की गई:-

विषय संख्या: 21 के अन्तर्गत दिनाँक: 26.11.90 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णयों को ध्यान में रखते हुए निम्न निर्णय लिये गये : -

§अ§ अपोलो अस्पताल को 10 एकड़ भूमि के आवन्टन से सूचित किया जाय ।

§ब§ प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग आंशिक इन्डिस्ट्रयल एवं आंशिक हरित है परन्तु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उपरोक्त तिथि को बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार भू-उपयोग के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है फिर भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकतानुसार पत्र आवास सचिव को प्रेषित कर दिया जाय ।

§स§ आवन्टित भूखण्ड के क्षेत्रफल एवं अस्पताल की भूमि के लिये निर्धारित मूल्य के आधार पर मूल्य लिया जाय ।

विषय संख्या:02 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक:15 दिसम्बर, 1990 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

निर्णय : अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये : -

1. प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 15.12.90 में प्रियदर्शनी योजना §सीतापुर रोड योजना पश्चिम§ की अर्थ विवेचना विषय सं0 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई जिसका अनुपालन प्राधिकरण की वर्तमान बैठक दिनाँक:5 अप्रैल 1991 में क्रम संख्या: 5 पर प्रस्तुत किया गया था । चूँकि पूर्व बैठक में अर्थ-विवेचना अनुमोदित की गई थी और निर्देश दिये गये थे कि भविष्य में प्राधिकरण के समक्ष रखी जाने वाली समस्त योजनाओं में ई0डब्लू0एस0 एवं अन्य आय वर्ग के भवनों का भी पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाया करे। इस संशोधन के साथ पुष्टि की गई ।

2. जनपथ में निर्मित मुख्य भवन के सेटलमेन्ट के विक्रय के सम्बन्ध में अप्रैल 1991 में बैठक कर ली जाय ।

क्रमश : - - -

3. हायर परचेज़ पद्धति के अन्तर्गत आवन्टित किये जाने वाले भवनों की सामान्य शर्तों का अध्ययन करके एक सप्ताह में अवगत कराया जाय ।

4. श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल को कानपुर रोड योजना में भवन संख्या ए-1/5 सी के विरुद्ध दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में अनुस्मारक दो वर्ष बाद भेजने हेतु उत्तरदायित्व दिनाँक:30.4.91 तक निर्धारित करके अवगत कराया जाय ।

विषय संख्या:03 गोमती नगर रिंग रोड के दक्षिण की ओर 5.09 एकड़ भूमि का भू-उपयोग ग्रीनबेल्ट से व्यवसायिक किये जाने हेतु परिचालित प्रस्ताव ।

निर्णय : प्रस्ताव परिचालन द्वारा पारित किया जा चुका है । अत: इसका अनुमोदन किया गया तथा प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिया गया कि गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में जितनी मात्रा में ग्रीन-बेल्ट का परिवर्तन कराया जाय उसकी प्रतिपूर्ति गोमती नगर योजन में ही अन्य स्थानों पर जिस प्रकार किया जाना प्रस्तावित हो उसका पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाय ।

विषय संख्या:04 नेहरू इनक्लेव योजना (भूमि-हाउसिंग) के अन्तर्गत यू0को0बैंक से रू0 1200लाख ऋण प्राप्त करने हेतु परिचालित प्रस्ताव ।

निर्णय : प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या:05 लखनऊ विकास प्राधिकरण के मूल बजट, 1991-92 के पारित होने की प्रत्याशा में भुगतान करने की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

निर्णय विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गत वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल-मई में व्यय की गई धनराशि का 10 प्रतिशत अधिक तीमा तक व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई तथा बजट दिनाँक: 26 अप्रैल, 91 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये ।

विषय संख्या:06 लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा पेन्शन नियमों में किये गये संशोधन के लागू करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को पेन्शन भुगतान के सम्बन्ध में नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा किये गये संशोधन को लागू किया जाय तथा शासन को प्राधिकरण के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनायी जाने हेतु अनुस्मारक प्रेषित किया जाय ।

क्रमश: - - -

विषय संख्या: 07 जानकीपुरम योजना के सेक्टर "एच" एक्सटेन्शन में (थाना गुड़म्बा के पीछे) प्रस्तावित उच्च, मध्यम, अल्प आय वर्ग के भवनों की योजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आगामी बैठक में योजना की डिजाइन तथा पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये तथा इस प्रकार की अपूर्ण आख्या न प्रस्तुत की जाय । साथ ही यह भी अवगत कराया जाय कि विगत वर्षों में कितने पंजीकृत व्यक्ति आवन्टन हेतु अवशेष हैं तथा उनके लिये क्या योजना है ?

विषय संख्या:08 स्कूल भूखण्डों के आवन्टन के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मामला शासन को स्वीकृति हेतु भेजा जाय तथा यदि दो माह में शासन से उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो मामला प्राधिकरण के समक्ष पुनः रखा जाय ।

विषय संख्या:09 4-राणा प्रताप मार्ग, हजरतगंज पर प्रस्तुत होटल मानचित्र के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या:10 गोमती नगर योजना में डा0 राम मनोहर लोहिया के नाम पर एक अस्पताल के निर्माण के सम्बन्ध में ।

निर्णय : उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि दिनांक:30.03.91 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर बैठक हुई थी जिसमें 20 एकड़ व्यवसायिक भूमि को आवासीय दर की आधी दर पर आवन्टित करने का निर्णय लिया गया है । प्राधिकरण इससे अवगत हुआ तथा निर्देश दिया गया कि शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाय ।

विषय संख्या:11 गोमती नगर योजना में सिविल अस्पताल हेतु भूमि के आवन्टन के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गोमती नगर योजना में सिविल अस्पताल हेतु 15 एकड़ भूमि आवंटन के समय प्रचलित आवासीय दर की आधी दर पर आवंटित कर दी जाय ।

क्रमशः———

विषय संख्या:12 स्वास्थ्य विभाग के परिवार कल्याण एवं भारतीय जनसंख्या परियोजना के भवन हेतु 45 एकड़ भूमि के आवन्टन के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि व्यवसायिक दर पर, आवन्टन के समय प्रचलित दर के अनुसार, भूमि आवंटित कर दी जाय ।

विषय संख्या:13 लखनऊ विकास प्राधिकरण की पुरानी कामन सीलके स्थान पर नई इन्ग्रेविंग कामन सील की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव यथावत् अनुमोदित किया गया ।

विषय संख्या:14 अनाधिकृत रूप से विभाजित अविकसित क्षेत्र के भूखण्डों पर आन्तरिक व वाह्य विकास शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

निर्णय : विचार – विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या:15 लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को मोटर कार भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मामला सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को सन्दर्भित कर दिया जाय तथा उनकी राय के अनुसार कार्यवाही की जाय ।

विषय संख्या:16 शारदा नगर योजना के रुचि खण्ड पार्ट–2 के विन्यास मानचित्र के संशोधन के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरांत प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विषय संख्या: 17 गोमती नगर योजना में आवंटितभूखण्ड संख्या:2/137, विजय खण्ड की जमा अधिक धनराशि पर ब्याज दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचार–विमर्श के पश्चात् निर्णय लिया गया कि ब्याज नियमानुसार दिया जाय ।

अनुपूरक विषय संख्या : 01. लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियन्त्रण कार्यों एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्यों की प्रगति आख्या ।

निर्णय : प्रस्तुत प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया ।

क्रमशः – – – – – – –

अनु०वि०सं०: 02 — किराये के भवनों में नाम परिवर्तन, हस्तांतरण व नये आवंटन के मामलों में किराया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

अनु०विषय संख्या: 03 — सीतापुर रोड योजना फेज-3 के अभिन्यास चित्र में संशोधन के सम्बन्ध में

निर्णय : प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

अनु०वि०सं०: 04 — नेहरू इनक्लेव फ़ेज-2 के अभिन्यास मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश से राय लेकर आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय ।

अनु०वि०सं०: 05 — गोमती नगर योजना में अपोलो अस्पताल को दी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव का अनुमोदन ।

निर्णय : विचार-विमर्श के पश्चात प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

अनु०वि०सं०: 06 — टाउन सेन्टर के अभिन्यास मानचित्र के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचार-विमर्श के पश्चात् भू-उपयोग परिवर्तन के साथ प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा निर्देश दिया गया कि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाय ।

अनु०वि०सं०: 07 — किसानों को मुआवज़ा दिये जाने के सम्बन्ध में जनता दल, उत्तर प्रदेश का प्रस्ताव ।

निर्णय : प्रस्ताव स्थगित किया गया ।

अनु०वि०सं०: 08 — कानपुर रोड नगरप्रसार योजना भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम हैबतमऊ मवैया में खसरा सं०565, 566 एवं 574ख में लगभग 33 बीघा भूमि में से 6बीघा 09बिस्वा 15 बिस्वांसी समायोजित की गई भूमि के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्ताव यथावत स्वीकार किया गया । प्रकरण पुनः शासन को प्रस्ताव के अनुसार सन्दर्भित किया जाय ।

ह०/
के०के० उपाध्याय
सचिव

ह०/
दिनेश राय
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

ह०/
रमेश चन्द्र
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

विषय संख्या: 2 पृष्ठ संख्या: 7

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 5 अप्रैल, 1991 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

========

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 5 अप्रैल, 1991 का कार्यवृत्त विलम्ब से प्राप्त होने एवं कार्यालय में हड़ताल हो जाने के कारण लिये गये निर्णयों का अनुपालन अभी पूर्ण नहीं हो सका है । अतः प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुपालन आख्या प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

प्रभारी:.........

विषय: अभियंत्रण खण्डों में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों एवं दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति तथा शासन की स्वीकृत की प्रत्याशा में नियमित वेतनमान देने के संबंध में।

---

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्य में वृद्धि होने के कारण समय-समय पर दैनिक वेतन तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों की नियुक्ति होती रही है। काफी समय से कर्मचारियों की मांग इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की रही है। उपरोक्त के संदर्भ में शासन द्वारा पिछले वर्ष तीन वर्ष या उससे अधिक के समय से कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों की सूचना मांगी गयी थी। इस संदर्भ में लखनऊ विकासप्राधिकरण से कुल 753/- कर्मचारियों की सूचना शासन को भेजी गयी थी, जिसमें से 548 पदों की स्वीकृति शासन द्वारा मिल गयी तथा शेष 205 पदों के संबंध में अपूर्ण सूचना होने के कारण स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। शासन द्वारा इन पदों के संबंध में पुनः सूचना मांगी गयी थी जिसे दिनांक 31.03.91 को भेज दी गयी थी लेकिन शासन द्वारा पुनः विस्तृत सूचना मांगी गयी थी, जिसका परीक्षण करके पुनः सूचना दिनांक 09.05.1991 को भेज दी गयी है। इसके अतिरिक्त वर्कचार्ज पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अभी हाल में हड़ताल की गयी थी तथा उनकी मांग है कि वे लोग भी वर्षों से कार्यरत है तथा इनके पद भी नियमित वेतन मान में स्वीकृत किये जाये। इस संदर्भ मुख्य अभियन्ता द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया है कि प्रत्येक खण्ड के लिये एक सुपरवाइजर तथा चार मेट के पद नियमित वेतनमान में स्वीकृत कर दिये जाय। सुपरवाइजर के पद 800-1150 तथा मेट के पद का वेतनमान 775-1050 में स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में वर्तमान में 12 अभियंत्रण खण्ड है अतः इनके लिये 12 सुपरवाइजर तथा 48 मेट के पदों की स्वीकृत की आवश्यकता होगी जिस पर लगभग 9.00 (नौ लाख रुपया) वार्षिक व्यय आयेगा इनके 60 पदों तथा दैनिक वेतन के 205 पद जिनकी स्वीकृति अभी शासन से प्राप्त नहीं हुई है के लिये कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें दिनांक 1 मई, 1991 से शासन की स्वीकृत की प्रत्याशा में नियमित वेतनमान दे दिये जाये।

अतः प्रस्तावित है कि प्राधिकरण वर्कचार्ज कर्मचारियों के लिये 12 पद सुपरवाइजर के तथा 48 पद मेट के स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान करें। साथ ही 205 पद जिनकी स्वीकृत का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है एवं उपरोक्त 60 पद जिनकी स्वीकृत, के प्रस्ताव के लिये नियमित वेतनमान दिनांक 01.05.91 से शासन की स्वीकृत की प्रत्याशा में दिये जाने पर निर्णय लेना चाहे।

उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य पद [illegible] निम्नवत है की आवश्यकता है उनके संबंध में स्वीकृत प्रदान [illegible]।

आशुलिपिक

---

प्राधिकरण में केवल 13 पद आशुलिपिक के स्वीकृत है जो निम्नांकित

क्रमशः

अधिकारियों से सम्बद्ध है:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | आयुक्त/अध्यक्ष | 01 | 1200-2040 |
| 2. | उपाध्यक्ष | 01 | 1200-2040 |
| 3. | सचिव कैम्प | 01 | तदैव |
| 4. | मुख्य अभियन्ता | 01 | तदैव |
| 5. | संयुक्त सचिव कैम्प | 01 | तदैव |
| 6. | संयुक्त सचिव " | 01 | " |
| 7. | संयुक्त सचिव " | 01 | " |
| 8. | संयुक्त सचिव " | 01 | " |
| 9. | नगर अभियन्ता-भवन | 01 | " |
| 10 | अधिशासी अभियन्ता-2 | 01 | " |
| 11 | अधिशासी अभि0-विद्युत | 01 | " |
| 12 | अधिशासी अभि0-9 | 01 | " |
| 13 | अधिशासी अभियन्ता-8 | 01 | " |
| 14 | मुख्य नगर नियोजक | 01 | " |
| 15 | मुख्य विधि परामर्शी | 01 | " |
| 16 | अपर सचिव | 01 | " |
| 17 | कान्ट-एक-कम-इको-प्ला | 01 | " |
| 18 | मुख्य लेखाधिकारी | 01 | " |
| 19 | विहित प्राधिकारी | 01 | " |

इसके अतिरिक्त निम्न अधिकारियों के लिये आशुलिपिक की अतिआवश्यकता है तथा इन पर दैनिक वेतन के कर्मचारियों से ही कार्य लिया जा रहा है।

1- उपाध्यक्ष कैम्प के लिये एक अतिरिक्त स्टेनों की आवश्यकता है तथा उप नगर अधिकारी, इक्जीक्युटिव सिस्टम्स, उप सचिव तथा अभियंत्रण खण्ड-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 तथा विहत प्राधिकारी के पास कोई आशुलिपिक नहीं है इन अधिकारियों के लिये कम से कम

क्रमशः

8: आशुलिपिक के पद स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है। अभियंत्रण खण्डों में पूल बनाकर कार्य लिया जायेगा तथा अन्य अधिकारियों के पास एक-एक आशुलिपिक स्थाई रूप से नियुक्त किये जायेंगे इन पदों के लिये वार्षिक व्यय 1,25000/-(एक लाख पच्चीस हजार रू0) वार्षिकव्यय आयेगा। आशुलिपिक का वेतनमान 1200-2040 में रहेगा।

3. विधि विभाग में मुख्य विधि परामर्शी के पास विधि अधीक्षक का (एक) पद है परन्तु प्राधिकरण में मुकदमें के केस बहुत ज्यादा है। अतः यहां पर एक पद अनु सचिव-विधि वेतनमान 2000-3500 में सृजित करने की अनुशंसा की जाती है। यह पद विधि अधीक्षक के पद से प्रोन्नति के द्वारा भरा जायेगा।

विषय संख्या: 4 पृष्ठ संख्या: 11

प्रस्ताव:- वर्क चार्ज पर तैनात कर्मचारियों को नियमित वर्कचार्ज के रूप में नियुक्त करने संबंधी मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रेषित प्रस्ताव ।

---

"उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में वर्कचार्ज कर्मचारियों के संबंध में एक बैठक हुई थी जिसमें सचिव/अतिरिक्त सचिव भी उपस्थित थे । वर्कचार्जे कर्मचारी संघ की मांग को दृष्टिगत रखते हुए तथा गत वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्यों का लक्ष्य 18.00 करोड़ मानते हुए यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक अभियन्त्रण खण्ड में एक सुपरवाईजर तथा वार मेट के नियमित पद सृजित करने की कार्यवाही की जाय । बैठक के समय वेतनमान के संबंध में भी चर्चा हुई थी और यह निर्णय लिया गया था कि इन कर्मचारियों का वेतन चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारी के समकक्ष रखा जाय । कृपया तदनुसार विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाय।"

तदनुसार प्राधिकरण के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है ।

विषय: दैनिक वेतन भोगी एवं माह मार्च 1990 में नियमित किये गये चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों को वर्दी दिये जाने के संबंध में ।

---

लखनऊ विकास प्राधिकरण में चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों को ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन वर्दी नवीन शासनादेश संख्या: 199एल/18-7-91-21(जी0-1)/85 दिनांक 11 फरवरी, 1991 (प्रति संलग्न) के अनुसार टेरीकाट वर्दी नियमित कर्मचारियों को प्रत्येक चार वर्ष बाद उनी वर्दी तीन वर्ष बाद दिये जाने का उल्लेख है । दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्दी दिये जाने का कोई उल्लेख शासनादेश में नहीं है, परन्तु लखनऊ विकास प्राधिकरण के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों तथा एक वर्ष पूर्व नियमित हुए चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारियों ने वर्दी की माँग की है ।

अतः दैनिक वेतन भोगी तथा एक वर्ष पूर्व नियमित हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी दिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्देश हेतु प्रस्तुत है ।

सं0 199एल/18-7-91-21(जी-1)/85

प्रेषक,

प्रवीर कुमार
संयुक्त सचिव,
उद्योग विभाग,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
कार्यालयाध्यक्ष व जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

उद्योग अनुभाग(7) दिनांक: लखनऊ: 11 फरवरी, 1991

विषय: उ0प्र0 सचिवालय से इतर जमादार, अर्दली व राजपत्रित अधिकारियों से सम्बद्ध चपरासी तथा राजकीय मोटर चालकों को ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन वर्दी ।

महोदय,,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-2088/18-3-1006(वि)-82 दिनांक: 23-4-1983 तथा 3190एल/18-7-21(जी-1)/87 दिनांक 1-1-88 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सचिवालय तथा सचिवालय से इतर उपर्युक्त श्रेणी के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिन्हें कि ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन वर्दी की सुविधा अनुमन्य है, में समान सुविधा समान आवर्तिता पर इस शर्त के साथ अनुमन्य कराई जाये कि अधीनस्थ कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्तमान में अनुमन्य सुविधा(टोपी को छोड़कर)भी विकल्प स्वरूप उपलब्ध रहे ।

2. इसी प्रकार ग्रीष्मकालीन वर्दी के लिए उत्तर प्रदेश सचिवालय से इतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भाँति टेरीकाट की प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार दो पैंट तथा दो बुशर्ट की सुविधा अनुमन्य होगी अथवा वे विकल्प स्वरूप पूर्व की भाँति प्रत्येक दो वर्ष में एक बार हथकरघा कपड़े से निर्मित 2 अचकन, 2पैजामा तथा 2 टोपी ले सकते हैं ।

---------- 2

3- इसी प्रकार शीतकालीन वर्दी में भी सचिवालय से इतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भाँति 3 वर्ष में एक बार एक पैंट तथा एक कोट (लाल झमली ब्लेजर) की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं अथवा विकल्प स्वरूप वे वर्तमान की भाँति शासनादेश संख्या-3190एल/18-7-21(जी-1)-87 दिनांक 1 जनवरी, 1988 में अनुमन्य सुविधा का लाभ उठा सकते हैं । पर्वतीय क्षेत्र में शीतकालीन वर्दी की सुविधा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार अनुमन्य होगी ।

4. वर्दी की अनुमन्यता के संबंध में अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् रहेंगी ।

5- मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन वर्दी की दरें तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् संशोधित भी की जाती हैं:-

ग्रीष्मकालीन वर्दी टेरीकाट कपड़े की

(क) जमादार, अर्दली व राजपत्रित अधिकारियों से संबद्ध चपरासी व स्थानीय कार्यालय चपरासी व राजकीय परिवहन चालक-

| | (अधिकतम मूल्य रू0 में) |
|---|---|
| 1- दो बुशर्ट के लिये कपड़ा 2.60 मी0 (डबल अर्ज) रू0 48.00 प्रति मी0 की दर से | 124.80 |
| 2- दो पैंट के लिए कपड़ा 2.40 मी0 (डबल अर्ज) रू0 48-00 प्रति मी0 की दर से | 115.20 |
| 3- दो सेट की सिलाई | 50.00 |
| योग | 290.00 (दो सौ नब्बे रू0) |

शीतकालीन वर्दी (ऊनी ब्लेजर के कपड़े की)

(क) जमादार, अर्दली व राजपत्रित अधिकारियों से संबद्ध चपरासी व स्थानीय कार्यालय चपरासी व राजकीय परिवहन चालक -

विषय:- गोमती नगर योजना भाग-2 के अन्तर्गत ल0 वि0 प्रा0 द्वारा अर्जित भूमि का प्रतिकर बढ़ाये जाने से सम्बन्धित ।

प्रस्ताव:- गोमती नगर योजना के भाग-2 के अन्तर्गत 1776.62 एकड़ की भूमि अर्जन हेतु धारा-4 व 6 की विज्ञाप्तियाँ प्रकाशित होने के उपरान्त विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (शारदा सहायक परियोजना) द्वारा भूमि का कब्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण को वर्ष 1985-86 में हस्तांतरित किया गया था एवं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को अब तक रू0-12.17 करोड़ प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जा चुका है तथा इस योजना में कई हजार भूखण्डों का आवंटन भी प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है । वर्ष-1986-87 में ही इस योजना में विकास कार्य प्रारम्भ कराया गया था परन्तु जनवरी-1989 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्जन की धारा 4 व 6 की विज्ञाप्ति एक ही दिन प्रकाशित किये जाने पर आपत्ति की गई थी जिसके फलस्वरूप ग्रामवासियों द्वारा विकास कार्य बन्द करा दिया गया एवं अन्त में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 27 फरवरी-1991 को भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1884की धारा-17 में संशोधन करके धारा-4 व 6 की विज्ञाप्ति को एक ही दिन प्रकाशित करना वैध ठहराया गया । स्थल पर विकास कार्य प्रारम्भ कराने हेतु प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कई बार प्रयास किया गया किन्तु ग्राम वासियों द्वारा अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं करने दिया गया है ।

दिनाँक: 30 मार्च-91 को गोमती नगर योजना के पिकअप भवन के उद्घाटन के समय माननीय मुख्य मन्त्री उत्तर प्रदेश शासन ने निम्न घोषणाएं की थीं:-

1. गोमती नगर योजना फेज़-2 के किसानों को पूर्व में दिये गये मुआवजे के अतिरिक्त रू0-17,500/= कुल प्रति बीघा मुआवजा दिया जाये ।
2. वहाँ के ग्राम वासियों के आश्रितों को वरीयता के आधार पर शासनादेश के अनुकूल नौकरी में प्राथमिकता दी जाये ।
3. गाँवों का विकास सुनियोजित ढंग से किया जाये ।
4. अल्प/भूखण्ड/दुकान ग्राम वासियों को वरीयता के आधार पर आवंटित किया जाये ।

उपरोक्त घोषणाओं के क्रम में प्रभावित किसानों से कई बार वार्ता की गई परन्तु वे रू0-17,500/= प्रति बीघे मुआवजा बढ़ाने पर सहमत नहीं हैं । बात-चीत के दौरान बताया गया कि यदि रू0-17,500/= प्रति

क्रमशः ....

बीघे के स्थान पर रू0-20 हजार प्रति बीघे की दर से एवार्ड में बढ़ोत्तरी कर दी जाये एवं उनकी अन्य मांगे मान ली जायें तभी वह कार्य प्रारम्भ होने देंगे ।

इस योजना का कार्य काफी समय से रूका पड़ा है एवं दरें बढ़ती रहने के कारण प्राधिकरण को काफी हानि उठानी पड़ रही है साथ ही साथ आवंटी विभिन्न न्यायालयों में विवाद उत्पन्न कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि विकास कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करा दिया जाये ।

यदि रू0 20 हजार प्रति बीघे के रूप में अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा तो एवार्ड के प्रतिकर की दर में तत्काल .34 पैसे प्रति वर्ग फिट की दर से वृद्धि करना होगा जिस पर नियमानुसार 12% अतिरिक्त प्रतिकर, 30% सोलेतियम तथा कब्जा की तिथि से भुगतान की तिथि तक 9% वार्षिक ब्याज देय होगा एवं इस पर प्राधिकरण को कुल लगभग 5.7 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभ्र करना पड़ेगा जिसे इस योजना की कास्टिंग में सम्मिलित करना होगा ।

इसके अतिरिक्त अर्जन के कारण प्रभावित व्यक्तियों को नियमानुसार तथा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार अन्य सुविधाएं जैसे: अ.1. ग्रामों का विकास-(बिजली, सड़क, जलापूर्ति आदि) 2. प्राधिकरण की सेवा में लिया जाना, वरीयता के आधार पर भवन/भूखण्ड/ दुकान आदि भी दिया जाना होगा ।

जैसा कि ग्राम वासियों की मांग है कि योजना में आने वाले पेड़ों, ट्यूबेलों व अन्य निर्माण का प्रतिकर भी हितबद्ध व्यक्तियों को दिया जाना होगा ।

उपरोक्त आख्या प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

विषय संख्या: 7

पृष्ठ संख्या: 17

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण का
मूल आय व्ययक 1991-92 ।

=x=x=x=x=x=

लखनऊ विकास प्राधिकरण का
मूल आय व्ययक 1991-92 अलग से
प्रस्तुत किया जा रहा है ।

प्रस्ताव संख्या: 8 पृष्ठ संख्या: 18

विषय:- सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-आई के समीप 12.14 एकड़ रिक्त भूमि पर सृजित भूखण्ड के अभिन्यास चित्र की स्वीकृति के संबंध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-आई के समीप लगभग 12.14, एकड़ भूमि रिक्त पड़ी है जिसे संलग्न अभिन्यास चित्र तथा महायोजना में नीले रंग से अंकित किया गया है । इस अभिन्यास चित्र के अन्तर्गत सभी जन सुविधाओं हेतु मुख्य नगर एवँ ग्राम नियोजक द्वारा निर्धारित मानकों के अन्तर्गत प्राविधान किया जा चुका है तथा मुख्य नगर एवँ ग्राम नियोजक से भी उपरोक्त के विषय में विचार-विमर्श हुआ । शासनादेश संख्या:4011/11-5-1989 दिनाँक: 26 अगस्त, 1989 के अन्तर्गत यह निर्देश दिये गये हैं कि अभिन्यास चित्र में संशोधन अथवा स्वीकृति की अनुमति बोर्ड से प्राप्त करना अनिवार्य है ।

अत: बोर्ड के समक्ष सीतापुर रोड योजना फेज-1 (पार्ट) का अभिन्यास चित्र अवलोकनार्थ एवँ स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है ।

प्रस्ताव संख्या: 9 पृष्ठ संख्या: 19

विषय:- विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गये तलपट मानचित्रों के अनुमोदन के संबंध में उप समिति का गठन किये जाने के संबंध में ।

शासनादेश संख्या: 4011/11-5-1989 दिनाँक: 26 अगस्त, 1989 के द्वारा सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया था कि जो तलपट मानचित्र प्राधिकरण द्वारा तैयार किये जायें अथवा उनमें संशोधन किया जाय, उनको प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात ही लागू किया जाय ।

विकास प्राधिकरण की बैठक तीन माह के बाद ही होनी सम्भव होती है इस कारण इन मानचित्रों पर स्वीकृति प्राप्त करने में काफी विलम्ब हो जाता है एवं इस प्रकार इन मानचित्रों के आधार पर समय से विकास कार्य कराया जाना भी सम्भव नहीं हो पाता है । इस विषय में यह उचित प्रतीत होता है कि एक उप समिति गठित कर ली जाय एवं मानचित्रों का अनुमोदन उप समिति से प्राप्त होने पर उनके आधार पर निर्माण एवं विकास कार्य कराया जा सके एवं समय की भी बचत हो सके, तलपट मानचित्रों की तकनीकी संस्तुति एवं अनुमोदन के लिए निम्न अधिकारियों की एक उप-समिति गठित की जानी उचित होगी:-

1. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
3. मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण ।

उपरोक्त उप-समिति गठित किये जाने के संबंध में यह प्रस्ताव विकास प्राधिकरण की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

विषय:- शारदा नगर योजना के रूचि खण्ड-1 में 110 उच्च आय वर्गीय भवनों का निर्माण कार्य ।

---

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शारदा नगर योजना स्थित रूचि खण्ड-1 का विकास कार्य लगभग 75प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है, तथा शेष कार्य प्रगति पर है । इस खण्ड में पूर्व में हडको/एच. डी. एफ. सी. द्वारा स्वीकृत लगभग 600 ई. डब्लू. एस. भवनों, 121 एल. आई. जी. भवनों एवं 458 साईट एवं सर्विसेज का निर्माण कार्य तथा आवंटन की प्रक्रियापूर्ण हो चुकी है । 23 एच. आई. जी. भवनों, 119एल. आई. जी. भवनों एवं - 192ई. डब्लू. एस. भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिनका आवंटन भी यथाशीघ्र कर दिया जायेगा ।

रूचि खण्ड-1 में ही 110 उच्च आय वर्गीय भवनों के निर्माण हेतु रूपये-212. 24लाख की एक योजना तैयार की गयी है । भूखण्ड का साईज 8. 00मी0×16. 00मी0 (128. 00वर्गमीटर) रखा गया है । भवन में दो शयन कक्ष एक ड्राईंगरूम/डाइनिंग रूम, दो शौचालय एवं स्नानगृह का प्राविधान किया गया है । एक भवन की कुल निर्माण लागत रू0-2. 03लाख, भूमि लागत सम्मिलित करते हुए समाकलित लागत रूपया-2. 50लाख एवं विक्रय मूल्य रूपया: 2. 75लाख आँका गया है । इस प्रकार एक भवन पर शुद्ध लाभ रूपया-0. 25लाख आँकलित है ।

उपरोक्त भवनों के निर्माण हेतु हडको द्वारा वित्त पोषण का प्रस्ताव है । हडको से रूपया-127. 34लाख की ऋण स्वीकृत हेतु योजना हडको को प्रेषित की जा चुकी है । योजना की भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है । अत: प्राधिकरण की बैठक के समक्ष निम्न प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :-

1. योजना के क्रियान्वयन के साथ हडको से ऋण आहरित करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना ।
2. सम्बन्धित अभिलेख इत्यादि हस्ताक्षरित करने हेतु सचिव/मुख्य अभियन्ता को अधिकृत किया जाना ।

विषय संख्या: 11

पृष्ठ संख्या: 21

विषय: शारदा नगर योजना के रूचि खण्ड-1 में 119 अल्प आय वर्गीय भवनों का निर्माण कार्य ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शारदा नगर योजना स्थित रूचि खण्ड-1 का विकास कार्य लगभग 75 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है । इस खण्ड में पूर्व में हडको/एच. डी. एफ. सी. द्वारा स्वीकृति लगभग 600ई0 डब्लू. एस. भवनों, 121 एल. आई. जी. भवनों एवं 458 साइट एवं सर्विसेज का निर्माण कार्य तथा आवंटन की प्रक्रियापूर्ण हो चुकी है । 23 एच आई. जी. भवनों, 119एल. आई. जी. भवनों एवं 192 ई. डब्लू. एस. भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिनका आवंटन भी यथाशीघ्र कर दिया जायेगा ।

उपरोक्त योजनाओं में से 119 अल्प आय वर्गीय भवनों के निर्माण हेतु रूपया 25.06 लाख की एक योजना तैयार की गई है भूखण्ड का साइज 4x13 मी0 (52वर्गमी0) रखा गया है प्रस्तावित भवन में एक शयन कक्ष, एक शौचालय, एक स्नानगृह एक रसोईगृह एवं भविष्य में एक कमरे का निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है । एक भवन की कुल निर्माण लागत रूपया-0. 2175 लाख है भूमि लागत सम्मिलित करते हुए समाकलित लागत रूपया: 0. 4099 लाख एवं विक्रय मूल्य रू0 0. 41 लाखआंका गया है ।

भवनों के निर्माण हेतु हडकों द्वारा वित्तपोषण का प्रस्ताव है । हडको से रूपया-25. 06 लाख की ऋण स्वीकृत हेतु योजना हडको को प्रेषित की जा चुकी है । योजना की भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है । अत: प्राधिकरण की बैठक के समक्ष निम्न प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

1- योजना के क्रियान्वयन के सार्थ हडको से ऋण आहरित करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना ।

2- सम्बन्धित अभिलेख इत्यादि हस्ताक्षरित करने हेतु सचिव/मुख्य अभियन्ता को अधिकृत किया जाना ।

---

विषय संख्या: 12 पृष्ठ संख्या: 22

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी की सामान्य शर्तों से सम्बन्धित ।

आशया : लखनऊ विकास प्राधिकरण में समय-समय पर व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी की जाती रही है और प्रत्येक बार शर्तें बनाई जाती थीं ।

2. अतः सुविधा एवं एक रूपता की दृष्टि से व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी की शर्तें बना ली गई हैं, जो उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं । इन्हीं शर्तों के अनुसार अब कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । इन शर्तों की एक प्रति संलग्न है ।

3. प्राधिकरण के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

---

## व्यवसायिक भूखण्ड की नीलामी की सामान्य शर्तें

1. न्यूनतम आरक्षित मूल्य

नीलाम किये जाने वाले व्यवसायिक भूखण्ड का न्यूनतम आरक्षित मूल्य विज्ञापन सूचना में अंकित किया जायेगा, जिसके आधार पर नीलाम की कार्यवाही की जायेगी ।

2. टोकेन मनी जमा करना

नीलाम में केवल टोकेन धारक ही भाग ले सकेंगे । यह टोकेन ल0 वि0 प्रा0 के कोषागार में रू0-25,000/= नकद अथवा बैंक-ड्राफ्ट द्वारा जो सचिव, ल0वि0प्रा0 के नाम देय हो, जमा करके नीलामी में भाग ले सकेंगे ।

3. भुगतान की पद्धति

I. रू0-10.00 लाख न्यूनतम आरक्षित मूल्य तक

क: सर्वोच्च बोली की 25% धनराशि हथौड़ा गिरने पर

ख: शेष 75% धनराशि बोली स्वीकृति से संबंधित पत्र निर्गमन की तिथि से 90 दिनों के अन्दर.

II. रू0-10.00 लाख से अधिक परन्तु रू0-20.00 लाख तक न्यूनतम आरक्षित मूल्य तक

क: सर्वोच्च बोली की 25% हथौड़ा गिरने पर,

ख: 75% धनराशि तीन समान त्रैमासिक किश्तों में 18% वार्षिक ब्याज सहित,

III. रू0-20.00 लाख से अधिक परन्तु रू0-50.00 लाख तक न्यूनतम आरक्षित मूल्य तक/-

क: सर्वोच्च बोली की 25% धनराशि हथौड़ा गिरने पर,

ख: शेष 75% धनराशि दो वर्षों में 8 त्रैमासिक किश्तों में 18% वार्षिक ब्याज सहित,

IV. रू0-50.00 लाख से अधिक न्यूनतम आरक्षित मूल्य होने पर

क: सर्वोच्च बोली की 25% हथौड़ा गिरने पर,

ख: शेष 75% धनराशि 4 वर्षों में 16 त्रैमासिक किश्तों में 18% वार्षिक ब्याज सहित ।

क्रमशः ... .2

4. बाह्य विकास कार्य

ल0वि0प्रा0 द्वारा केवल बाह्य विकास सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी जिसमें बाह्य सड़क का निर्माण, बाह्य सीवर तथा एस0डब्लू0ड्रेन का कार्य सम्मिलित है । विद्युत का सोर्स ल0वि0प्रा0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा ट्रांसफारमर आवंटी को लगाना होगा ।

5. भूखण्ड का कब्जा

5.1: यदि नीलाम किये जाने वाले व्यवसायिक भूखण्ड का न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू010.00लाख तक निर्धारित किया गया है तो नीलाम किये जाने वाले भूखण्ड का कब्जा पूर्ण धनराशि प्राप्त होने तथा रजिस्ट्री के पश्चात दिया जायेगा ।

5.2: यदि नीलाम किये जाने वाले भूखण्ड का न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू010.00लाख से अधिक है तो नीलामी में प्राप्त सर्वोच्च बोली की स्वीकृति के पश्चात §जिसमें 25%धनराशि पहले ही प्राप्त हो चुकी होगी§ तथाऔपचारिकतायें जिसमें अनुबन्ध निष्पादन भी सम्मिलित है, पूर्ण होने के पश्चात भूखण्ड का कब्जा दे दिया जायेगा तथा शेष 75% धनराशि उपरोक्त क्रम सं0-3 के अनुसार ली जायेगी । पूर्ण धनराशि प्राप्त होने के पश्चात रजिस्ट्री की जायेगी ।

5.3: अनुबन्ध/रजिस्ट्री पर होने वाला समस्त व्यय आवंटी द्वारा ही वहन किया जायेगा ।

5.4: क: उपरोक्त क्रम सं05.1 के अनुसार रजिस्ट्री हो जाने के पश्चात रजिस्ट्री की तिथि से एक माह के अन्दर भूखण्ड का कब्जा आवंटी को लेना होगा । यदि आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया जाता है तो कब्जे की तिथि, रजिस्ट्री की तिथि से एक माह के पश्चात की तिथि से मान ली जायेगी तथा उक्त तिथि से चौकीदारी चार्जेज भी आवंटी द्वारा देय होंगे ।

ख: उपरोक्त क्रम संख्या:5.2 के अनुसार अनुबन्ध की तिथि से एक माह के अन्दर भूखण्ड का कब्जा लेना होगा । यदि आवंटी द्वारा कब्जा नहीं लिया जाता है तो कब्जे की तिथि अनुबन्ध की तिथि से एक माह के पश्चात की तिथि से मान ली जायेगी तथा उक्त तिथि से चौकीदारी चार्जेज भी आवंटी द्वारा देय होंगे ।

क्रमशः ........3

6. भूखण्ड पर निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति

6.1: उपरोक्त क्रम संख्या-5.1 के अनुसार रजिस्ट्री के निष्पादन की तिथि से तीन माह के अन्दर तथा उपरोक्त क्रम सं05.2 के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन की तिथि से तीन माह के अन्दर निम्न अभिलेख भवन विभाग को प्रस्तुत करने होंगे :

क: भू विन्यास

ख: भवन चित्र,

ग: विस्तृत डिजाइन, स्ट्रक्चर सहित तथा स्पेशिफिकेशन्स

6.2: उपरोक्त को प्रस्तुत करते समय महायोजना के प्राविधानों का पालन किया जायेगा ।

7. भू-विन्यास /मानचित्र की स्वीकृति

आवश्यक जाँच के पश्चात भू-विन्यास /भवन चित्र की स्वीकृति लखनऊ विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी ।

8. भूखण्ड पर निर्माण की अवधि,

8.1: उपरोक्त क्रम सं0 5.1 के अनुसार आवॅटी को रजिस्ट्री की तिथि से एक वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा रजिस्ट्री की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कराना होगा ।

8.2: उपरोक्त क्रम संख्या:5.2 के अनुसार आवॅटी को अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना होगा तथा अनुबन्ध की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण कराना होगा ।

8.3: यदि अपरिहार्य कारणों से उपरोक्त अवधि में निर्माण पूर्ण नहीं हो पाता है तो उपरोक्त अवधि पूर्ण होने से पूर्व समय वृद्धि हेतु आवॅटी को आवेदन करना होगा ।

क्रमशः .....4

यदि समय वृद्धि हेतु पर्याप्त कारण दिये गये हैं तो समय वृद्धि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा उनके अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी ।

9. भूखण्ड का बँटवारा,

9.1: भूखण्ड का बटवारा करने का अधिकार न होगा । इसका तात्पर्य यह है कि आवँटी भूखण्ड को सब-लेट नहीं कर सकता है परन्तु आवँटी विभिन्न आकार की दुकाने तथा कार्यालय क्षेत्रफल निर्मित करके विक्रय कर सकता है ।

9.2: यदि यह पाया जाता है कि आवँटी ने भूखण्ड को सबलेट किया है तो उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को अधिकार होगा कि वह आवँटन निरस्त कर दें तथा भूखण्ड पर पुनः कब्जा कर लें इसके अतिरिक्त यदि अन्य कोई कार्यवाही आवश्यक हो तो वह भी कर लें ।

10. पट्टे का किराया,

भूमि पट्टे पर दी जायेगी आर पट्टे का किराया निर्धारित दर एवँ शर्तों के अधीन देय होगा ।

11. निर्दिष्ट उपयोग,

व्यवसायिक भूखण्ड जिस उद्देश्य के लिये आवँटित किया जायेगा, उस भूखण्ड पर निर्मित भवन का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिये किया जायेगा । यदि अन्यथा उपयोग पाया जाता है तो हरजाना वसूल करने अथवा आवँटन निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को होगा ।

12. आर्बट्रेशन,

यदि आवँटी तथा उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो विवाद के सम्बन्ध में अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्य होगा तथा दोनों ही पक्षों कोउसे मानना होगा ।

क्रमशः .....5

15. कानूनी क्षेत्र,

उपरोक्त से संबंधित सभी मामले दीवानी न्यायालय लखनऊ की परिधि में ही आयेंगे ।

14. उपरोक्त शर्तों में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्द्धन करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० को होगा । अनुबन्ध/तथा रजिस्ट्री पेपर्स में और शर्तें बढ़ाने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष ल०वि०प्रा० को होगा ।

ह०

§ के० बी० सक्सेना §
कास्ट एकाउन्टेन्ट-एवं-इकोनामिक प्लानर

अवलोकित,

ह०-

§ के० के० उपाध्याय §
सचिव,

विषय:- गोमती नगर योजना के अन्तर्गत नेहरू इन्क्लेव योजना के सलेज फार्म के किसानों को दिये जाने वाले फसल के प्रतिकर के संबंध में ।

---

प्रस्ताव:- गोमती नगर योजना के अन्तर्गत नेहरू इन्क्लेव योजना का कार्य काफी समय से अवरूद्ध रहने के उपरान्त दिनाँक: 25.8.90 से प्रारम्भ हो सका । कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व सलेज फार्म के - प्रभावित किसानों से समझौता हुआ था, जिसमें प्राधिकरण द्वारा उन्हें एक यह भी आश्वासन दिया गया था कि सलेज फार्म की फसल के मुआवजे का भुगतान किया जायेगा । सलेज फार्म की भूमि पर अधिकतर आलू की ही फसल बोई जाती है । कुछ एक किसानों द्वारा ही आलू के अतिरिक्त धान की फसल भी बोई जाती है । इसको दृष्टिगत रखते हुए सलेज फार्म की भूमि पर आलू की फसल हेतु रू0-6,000/= तक प्रति बीघे व धान की फसल हेतु रू0-3,000/= प्रति बीघे की दर से प्रतिकर के भुगतान की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनाँक: 16.9.90 को प्रदान की गई थी एवं अब तक कुल - रू0-5,96,515/00 का भुगतान विभिन्न किसानों को किया जा चुका है ।

गोमती नगर योजना में सलेज फार्म की कुल लगभग 982.38 एकड़ की भूमि है जिसमें कुछ भूमि अन्य विभागों जैसे सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग आदि के कब्जे में है । इस प्रकार लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास सलेज फार्म की लगभग 1400 बीघे भूमि ही बचती है जिसमें लगभग 935 बीघे भूमि पर किसान आलू की फसल बोते हैं तथा लगभग 465 बीघे भूमि पर किसान धान की फसल बोता है जिसके प्रतिकर के रूप में लगभग 70 लाख रूपये का व्यय भार लखनऊ विकास-प्राधिकरण को उठाना पड़ेगा । जिसकी पूर्ति इस योजना में भूमि की कास्टिंग से की जायेगी ।

उपरोक्त आख्या प्राधिकरण के सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है ।

विषय संख्या: 14



विषय: शारदा नगर योजना में स्टार्म ड्रेन के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ।

लखनऊ शहर के सुनियोजित विकास एवं शहर में बढ़ती हुई आवास समस्या को दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ शहर में कई आवास एवं विकास योजनायें सम्पादित की जा रही हैं । प्राधिकरण के बढ़ते हुए कदमों के अन्तर्गत इसी प्रकार की एक आवासीय योजना लखनऊ राय बरेली मार्ग के किनारे स्थित शारदा नगर योजना है । लखनऊ 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में . फैली इस ययोजना को 8 खण्डों [रवि खखण्डद रश्मि खण्ड, रुचि खण्ड, रजनी खण्ड, रतन खण्ड, रत्नाकर खण्ड, राधा खण्ड एवं रक्षा खण्ड] में बांटा गया है । योजना रवि, रश्मि, रुचि, रत्नाकरएवं रक्षा खण्डों में आन्तरिक विकास कार्यों के साथ-साथ भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है । योजना के राधा खण्ड के अन्तर्गत लगभग 104-00हेक्टेयर भूमि शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 को आवंटित की गई है । जिस पर डा0 अम्बेदकर वि0विद्यालय का निर्माण का प्रगति पर है । वाह्य विकास कार्यों के अन्तर्गत जोनल मार्गों तथा सीवर का कार्य लगभग समाप्ति पर है , परन्तु बरसाती पानी की निकासी हेतु स्टार्म वाटर ड्रेन का कार्य अभी सम्पादित होना शेष है , इसी क्रम में योजना का स्टार्म वाटर ड्रेड प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत रुपये 786=82 लाख [रुपया सात करोड़ छियासी लाख बयासी रुपया मात्र] है। शारदा नगर योजना के बीच से जाने वाली आलमनगर ;-उतरठिया वाई पास रेलवे लाइन इस योजना को दो भागों में बांटती है ।भाग-1 का बरसाती पानी इस रेलवे लाईन के नीचे से होता हुआ किला मोहम्मदी ड्रेन , जो वर्तमान में कच्चे नाले के रूप में है में मिलाया जायेगा । भाग-2 में रेलवे लाईन तथा 45 मीटर चौड़े मार्ग के बीचस्थित क्षेत्र का बरसाती पानी भी किला मोहम्दी ड्रेन में मिलाया जाना प्रस्तावित है । जल निकासी के इस मार्ग को संलग्न "की" प्लान में दर्शाया गया है । चूँकि वर्षा का समय [दक्षिण पश्चिम मानसून] निकट । अतः योजना में होने वाली जल भराया की स्थिति से निपटने हेतु प्रोजेक्ट का . तीव्र क्रियान्वयन अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है ।

अतः धनांक रु0 786=82 लाख की स्टार्म वाटर ड्रेन परियोजना की स्वीकृति करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 10 मई, 1991 के पूर्वान्ह 11.00 बजे आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के कक्ष में हुई, का कार्यवृत्त ।

उपस्थिति:

1. श्री रमेश चन्द्र,
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

2. श्री दिनेश राय,
मुख्य नगर अधिकारी एवं
उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

3. श्री कमल कान्त जैसवाल,
सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0।

4. श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव, उ0प्र0शासन,
आवास विभाग ।

5. श्री राम शंकर यादव,
सदस्य ।

6. श्री राधा कृष्ण गुप्ता,
सदस्य ।

7. श्रीमती मिथिलेश कुमारी,
सदस्या ।

अन्य उपस्थिति:

1. श्री के0 के0 उपाध्याय,
सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ ।

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=

विषय-संख्या:01 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 5 अप्रेल, 1991 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

निर्णय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 5 अप्रेल, 1991 के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्नांकित संशोधन के साथ की गयी:-

" प्राधिकरण के पुराने पंजीकृत लोगों की वर्षवार सूची बनवाकर उपलब्ध कराई जाय तथा इसके लिये एक पृथक योजना बनाकर उन्हें भवन/भूखण्ड आदि उपलब्ध कराये जायें ।"

विषय संख्या:02 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाँक: 5 अप्रेल, 1991 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

निर्णय: अनुपालन आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु सहमति प्रदान की गई ।

क्रमशः .....

विषय संख्या: 03एवं04 अभियन्त्रण खण्डों में कार्यरत वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति तथा शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में नियमित वेतनमान दिये जाने के संबंध में ।

निर्णय: विस्तृत रूप से विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :--

1. 205 दैनिक वेतन के पद जो शासन के विचाराधीन हैं तथा वर्कचार्ज पर कार्यरत 12 पद सुपरवाइजर वेतनमान-रू0 800-1150 मेंएवं 48 पद मेट वेतनमान रू0 775-1050 में सृजन हेतु शासन को स्वीकृति हेतु सन्दर्भित कर दिया जाये । शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जाय ।
2. कार्यालय कार्यहित में आवश्यकता को देखते हुए आशुलिपिक के 6 पद वेतनमान रू0 1200-2040 में सृजन हेतु शासन को अनुशंसा भेज दी जाय तथा स्वीकृतोपरान्त प्रस्ताव के अनुसार नियमानुसार नियुक्ति की जाय ।
3. अनुसचिव(प्रशासनिक) के पूर्व स्वीकृत 5 पदों का परीक्षण कर ज्ञात किया जाय कि क्या इनमें से एक पद अनुसचिव (विधि) में परिवर्तित किया जा सकता है, अन्यथा वर्क-स्टडी कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय ।

विषय संख्या: 05 दैनिक वेतन भोगी एवं मार्च, 90 में नियमित किये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी दिये जाने के संबंध में ।

निर्णय: विस्तृत रूप से विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जो कर्मचारी नियमितीकरण की तिथि को 3 वर्ष पहले या उससे पूर्व से कार्यरत थे, उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी दी जाय ।

विषय संख्या: 06 गोमतीनगर योजना भाग-2 के अन्तर्गत अर्जित भूमि का प्रतिकर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय: प्रस्ताव वापस लिया गया ।

विषय संख्या: 07 लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय व्ययक 1991-92

निर्णय: आय व्ययक 1991-92 पर सामान्य चर्चा हुई तथा बजट निम्न निर्देशों के साथ यथावत् पारित किया गया:-

(1) योजनावार आय एवं व्यय प्रस्तावित बजट के अनुसार बना लिया जाय ।

क्रमश: ------ --

§2§ सीवरेज निस्तारण का नियोजन अभी से किया जाय ।

§3§ प्रत्येक योजना में जहाँ भवन निर्मित हो चुके हैं, समस्त विकास कार्य पूर्ण कराये जायँ ।

विषय संख्या:08 — सीतापुर रोड सेक्टर"आई"के समीप 12.14एकड़ रिक्त भूमि पर सृजित भूखण्ड के अभिन्यास मानचित्र की स्वीकृति ।

निर्णय: — अवलोकनोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या:09 — विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये विन्यास मानचित्रों के अनुमोदन हेतु उप-समिति का गठन ।

निर्णय: — प्रस्तावित उप-समिति का गठन अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक तलघट मानचित्र का अनुमोदन उक्त समिति द्वारा कर दिया जाय तथा प्राधिकरण की आगामी बैठक में सूचनार्थ रखा जाय ।

विषय संख्या:10 — शारदा नगर योजना के रूचि खण्ड-1 में 110 एच0आई0जी0 भवनों का निर्माण कार्य ।

निर्णय: — प्रस्ताव यथावत् स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या:11 — शारदा नगर योजना के रूचि खण्ड-1 में 119 एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण कार्य ।

निर्णय : — प्रस्ताव यथावत् स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या:12 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी की सामान्य शर्तें ।

निर्णय: — विचारोपरान्त योजनाओं में व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी की प्रस्तावित सामान्य शर्तें अनुमोदित की गयीं ।

विषय संख्या:13 — गोमती नगर योजना के अन्तर्गत नेहरू इनक्लेव योजना के सलेजकार्य के किसानों को दिये जाने वाले फ़सल के प्रतिकर के सम्बन्ध में ।

निर्णय: — विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कृषि विभाग अथवा विशेषज्ञ का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाय कि फ़सल की पैदावार जो दिखाई गई है वह सही है तथा इसमें कोई विशेष अन्तर तो नहीं है ।

क्रमशः - - - - - -

विषय संख्या: 14 शारदा नगर योजना में स्टार्म वाटर ड्रेन के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ।

निर्णय: प्रस्ताव यथावत् स्वीकृत किया गया ।

विषय संख्या: 15 हरदोई रोड आवासीय योजना (आम्रपाली) के संशोधित प्रतिकर के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव ।

निर्णय: विस्तृत रूप से विचारोपरान्त प्रस्ताव यथावत् अनुमोदित किया गया ।

विशेष प्रस्ताव:

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से शासन द्वारा नामित सदस्यों द्वारा एक प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत की गई । जिस पर विस्तृत रूप से विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण विन्दुवार टिप्पणी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करायेंगे तथा जहाँ के आवन्टन का मामला है, उपाध्यक्ष प्राधिकरण परिसर में स्थानाभाव को ध्यान में रखते हुए विचार करेंगे ।

ह0-
(दिनेश राय)
उपाध्यक्ष

ह0-
(के0 के0 उपाध्याय)
सचिव

अनुमोदित

ह0-
(रमेश चन्द्र)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ ।